छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 113/2006

श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी. 59, सेक्टर–1 शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)	. . . . .	आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र0 1, राष्ट्रीय राजमार्ग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	. . . . .	अनावेदक

:: आदेश ::

(10 मई 2006)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 10–01–2006 को जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के यहां आवेदन लगाया था, उनका आवेदन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक–1, राष्ट्रीय राजमार्ग, रायपुर से संबंधित होने के कारण 20 दिन के बाद हस्तांतरित किया गया। उनके विरूद्ध आवेदक ने अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की, किन्तु अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता ने उनके आदेश दिनांक 24–03–2006 के द्वारा यह आदेश दिया कि चूंकि जानकारी का संबंध कार्यपालन यंत्री, संभाग क्रमांक–1 से है, उसके

अपीलीय अधिकारी वह न होकर अधीक्षण अभियंता,रायपुर है। अतः सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें।

2. उक्त शिकायत पर उभय पक्ष की सुनवाई की गई। शिकायतकर्ता लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में जानकारी रहने का आधार लेकर यह चाहते हैं कि प्रमुख अभियंता स्वयं ही जानकारी लेकर प्रदान करते और वहीं के अपीलीय अधिकारी यह अपील सुनते किन्तु इस संबंध में अधिनियम में अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित होने के कारण उसे हस्तांतरण करने का जो प्रावधान है, उसके अंतर्ग त ही यह शिकायत हस्तांतरित की गई है और अधिनियम में जब जन सूचना अधिकारी को आवेदन देने का उल्लेख है तो उसके नीचे धारा 6(3) में लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदन हस्तांतरित करने का तात्पर्य जन सूचना अधिकारी द्वारा हस्तांरित करने से लिया जा सकता है। अतः उक्त दशा में अपील अधिकारी ने जो आदेश पारित किया और जन सूचना अधिकारी ने जो शिकायत हस्तांतरित की, उसमें मैं त्रुटि नहीं पाता हूॅं और वैसे भी आवेदक को दिनांक 25–2–2006 एवं 09–06–2006 के पत्र द्वारा जानकारी दी जा चुकी है, जो उन्हें संभवतः मिल चुकी होगी और इससे उनके शिकायत का निराकरण भी हो चुका होगा। अतः शिकायत निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त